संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 1)

न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ के समक्ष

याचिकाकर्ता - संजीव कुमार

बनाम

प्रतिवादी - हरियाणा राज्य

2022 का सीआरएम-एम नंबर 59270

19 दिसंबर, 2022

परक्राम्य लिखत अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 - धारा 138 एनआई एक्ट के तहत शिकायत का मामला - याचिकाकर्ता को घोषित अपराध माना गया है और धारा 174-ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई - मुख्य विवाद समझौते के माध्यम से सुलझाया गया - एक बार मुख्य याचिका वापस ले लेने के बाद, धारा 174-ए के तहत कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 2)

के अलावा और कुछ नहीं है - एफआईआर और उसके बाद की सभी कार्यवाही रद्द कर दी जाती है।

यह माना गया कि आईपीसी की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही जारी रखने को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया था, जबकि पार्टियों के बीच मुख्य विवाद पहले ही समाप्त हो चुका है।

(अनुच्छेद 13)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील, मानव बजाज।

प्रतिवादी - राज्य के लिए विकास भारद्वाज, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 3)

(1) वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता – संजीव कुमार ने पुलिस स्टेशन अंबाला शहर में दर्ज आईपीसी की धारा 174-ए (अनुबंध पी -1) के तहत 17.02.2020 की एफआईआर संख्या 0348 को रद्द करने की मांग की है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि संजय भाटिया ने 23.11.2016 को बेयरिंग संख्या सीओईएमए / 2269/2016 के अधीन याचिकाकर्ता के खिलाफ अंबाला के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में दिनांक "संजय भाटिया बनाम संजीव कुमार" शीर्षक से परक्राम्य लिखत अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 अधीन धारा 138 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, अंबाला की अदालत में मामला दर्ज किया गया है। उक्त शिकायत मामले में याचिकाकर्ता के उपस्थित न होने के कारण, उसे 23.04.2018 (अनुबंध पी -9) के आदेश के माध्यम से एक घोषित व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया था, जिसे विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला द्वारा पारित किया गया था और वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 174-ए

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 4)

आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। तदानुसार, उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील शिकायतकर्ता संजय भाटिया के दिनांक 09.06.2022 (अनुलग्नक पी-11) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला के समक्ष बयान का उल्लेख करते हैं जो निम्नानुसार है: –

उन्होंने कहा, 'कि मैंने दैनिक लोक अदालत में मौजूदा मामले में आरोपी संजीव के साथ समझौता कर लिया है और आरोपी के साथ मेरा कोई लेन-देन बाकी नहीं है और अगर फाइल कार्यालय में जमा की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दिनांक 09.06.2022 (अनुबंध पी-10) के आदेश का भी उल्लेख किया, जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, अंबाला द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत विवाद के निपटारे के तथ्य को देखते हुए यह कहा गया था

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 5)

कि शिकायत को खारिज करने का आदेश दिया गया क्योंकि दैनिक लोक अदालत में समझौता किया गया था और आरोपी (याचिकाकर्ता) को आरोपमुक्त कर दिया गया था। दिनांक 09.06.2022 का आदेश (अनुलग्नक पी-10) निम्नानुसार कहता है: –

"उपस्थित :, अधिवक्ता के साथ व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता श्री खुशी राम सैनी ।

फ़ाइल को फिर से लिया गया । मुख्य मामला रिकॉर्ड रूम से प्राप्त हुआ। इसे उसके मूल नंबर पर बहाल किया जाए। शिकायतकर्ता संजीव भाटिया ने अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया कि उन्होंने आज दैनिक लोक अदालत में आरोपी के साथ मामले में समझौता किया है और अब आरोपी के खिलाफ कुछ भी बकाया नहीं है इसलिए, वह प्रस्तुत शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और इसे खारिज किया जा सकता है क्योंकि दैनिक लोक अदालत में समझौता किया जा रहा है। शिकायतकर्ता की विधिवत पहचान उसके वकील द्वारा की जाती है। सुना गया है । शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए, शिकायतकर्ता को वर्तमान

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 6)

शिकायत वापस लेने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार, वर्तमान शिकायत को खारिज किया जाता है क्योंकि दैनिक लोक अदालत में समझौता किया जा रहा है। आरोपी को आरोपमुक्त किया जाता है और उसे इस मामले में हिरासत से रिहा किया जाता है। उचित अनुपालन के बाद फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाए।

अभिकलन: – 09.06.2022

अधोहस्ताक्षर /-

(अरुण डाबला)

न्यायिक न्यायधीश प्रथम श्रेणी,

अंबाला (यूआईडी: (एचआर -0475)"

(5) इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि दिनांक 09.06.2022 (अनुबंध पी -10) के आदेश के मद्देनजर, 198 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2023 (1) पुलिस स्टेशन अंबाला शहर में दर्ज आईपीसी की धारा 174-ए (अनुबंध पी –

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 7)

1) के तहत दिनांक 17.02.2020 को दर्ज एफआईआर नंबर 0348 से उत्पन्न कार्यवाही को जारी रखते हुए यह उपलब्धि हासिल की गई।

(6) अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **हितेश एच. शाह** बनाम **हरियाणा राज्य और एक अन्य (सीआरएम-एम-12034-2022, 13.07.2022 को फैसला)** के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित एक फैसले पर भरोसा किया है, और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता का मामला तथ्यों और कानून पर संदर्भित निर्णय के समान है।

(7) प्रस्ताव की सूचना।

(8) न्यायालय के पूछने पर, श्री विकास भारद्वाज, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा, जो न्यायालय में उपस्थित हैं, प्रतिवादी-राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। वह प्रस्तुत करता है कि सीआरपीसी के सभी प्रावधानों का पालन करते हुए कानून के

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 8)

अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त एफआईआर दर्ज की गई है, और इसे तार्किक अंत तक पहुंचने की आवश्यकता है। हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं कि जिस विवाद से याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही शुरु करने का आदेश दिया गया था, उसे अंतिम रूप दे दिया गया है और मुख्य शिकायत मामला संख्या 174-ए को अंतिम रूप दे दिया गया है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दिनांक 23.11.2016 को कोमा/2269/2016, को पहले ही 09.06.2022 को वापस ले लिया गया है।

मैंने पक्षकारों के वकीलों को सुना है और मेरे समक्ष उपलब्ध केस रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया गया है।

(9) यह स्पष्ट है कि चेक राशि के संबंध में निजी पक्षों के बीच विवाद पहले ही हल हो चुका है, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा 09.06.2022 को मुख्य याचिका वापस ले ली गई है, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है।

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 9)

(10) बलदेव चंद बंसल बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य (सीआरएम-एम-43813-2018, 29.01.2019 को तय किया गया), इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निम्नानुसार माना है: –

"इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि पंचकूला के सेक्टर -5 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 64 और उसके बाद की सभी कार्यवाही के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 24.10.2016 के आदेश को रद्द किया जाए, जिसके तहत उपरोक्त एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने "विकास शर्मा बनाम गुरप्रीत सिंह कोहली और अन्य (सुप्रा), 2017, (3) एलएआर 584, माइक्रोक्वाल टेक्नो लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2015 (32) आरसीआर (सीआरएल) 790 और "रजनीश खन्ना बनाम हरियाणा राज्य और अन्य" 2017 (3) एलएआर 555 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों पर भरोसा किया है। इस अदालत ने माना है कि चूंकि अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर मुख्य याचिका पार्टियों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौते के मद्देनजर वापस ले ली गई है, इसलिए, आईपीसी

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 10)

की धारा 174 ए के तहत कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा।

XXX xxx xxx

इसे ध्यान में रखते हुए, मुझे वर्तमान याचिका में दम नज़र आता है और तदनुसार, वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पंचकूला द्वारा पारित दिनांक 24.10.2016 के आदेश के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत 15.02.2017 को पुलिस स्टेशन सेक्टर-5, पंचकूला में दर्ज किया गया है। इसलिए इसे रद्द किया जाता है।

(11) उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि इसी तरह के एक मामले में जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम **(**निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के अनुसरण में आईपीसी की धारा 174-ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को घोषित अपराधी प्रमाणित किया गया था, एक समन्वय पीठ ने विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करने के बाद पाया कि एक

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 11)

बार अधिनियम की धारा 138 के तहत मुख्य याचिका को वापस ले लिया जाता है। पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता, धारा 174-ए आईपीसी के तहत कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। उक्त पहलू याचिका को स्वीकार करने और याचिकाकर्ता को घोषित व्यक्ति घोषित करने के साथ-साथ आईपीसी की धारा 174-ए के तहत एफआईआर को रद्द करने के आदेश को रद्द करने के लिए मुख्य विचार में से एक था।

(12) **अशोक मदान बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[1] नामक मामले में इस न्यायालय की एक अन्य समन्वय पीठ ने भी निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

"इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रतिवादी के वकील ने जोरदार तर्क दिया कि धारा 174 ए आईपीसी के तहत अपराध मुख्य मामले से स्वतंत्र है, इसलिए, केवल इसलिए कि मुख्य मामले को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया है, वर्तमान याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती है, हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान प्राथमिकी केवल मुख्य मामले में कार्यवाही से अनुपस्थिति के कारण दर्ज की गई थी, जिसे बाद में याचिकाकर्ता को

[1] 2020 (4) आर सी आर (Crl.) 87

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 12)

जमानत देते समय अदालत द्वारा नियमित कर दिया गया था। डिफ़ॉल्ट को माफ कर दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में, धारा 174 ए आईपीसी के तहत कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। तदनुसार, याचिका को स्वीकार किया जाता है। एफआईआर संख्या 446 दिनांक 21.08.2017, आईपीसी की धारा 174 ए के तहत दर्ज की गई। जिला फरीदाबाद के कोतवाली पुलिस स्टेशन में और परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा।

(13) इसी सिद्धांत को दोहराते हुए, **हितेश एच. शाह** (पूर्व) के मामले में, आईपीसी की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही जारी रखने को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया था, जब पार्टियों के बीच मुख्य विवाद पहले ही समाप्त हो चुका हो।

(14) इन परिस्थितियों में, एक बार वर्तमान याचिका के खिलाफ दायर परक्राम्य लिखत अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत का मामला समझौते के आधार पर वापस ले लिया जाता है, तो पुलिस स्टेशन अंबाला शहर में दर्ज धारा 174-ए आईपीसी (अनुबंध पी -1) के तहत दिनांक 17.02.2020 को एफआईआर नंबर 0348 को जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। इस संबंध

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 13)

में **माइक्रोक्वाल टेक्नो लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[2] के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भी भरोसा किया जा सकता है, जिसका **जितेंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य और एक**

अन्य (सीआरएम-एम-47891-2021, 16.11.2021 को फैसला) में भी पालन किया गया है।

(15) तदनुसार, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है और पुलिस स्टेशन अंबाला शहर में आईपीसी की धारा 174-ए (अनुबंध पी -1) के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 0348, दिनांक 17.02.2020, इसके बाद की सभी कार्यवाही के साथ, याचिकाकर्ता द्वारा यहां रद्द की जाती है।

डॉ. पायल मेहता

[2] 2015 (32) सी आर सी (Crl.) 790

संजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य

(न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 14)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) कैथल, हरियाणा